आयोग द्वारा कार्य के निष्पादन हेतु अपनाई जाने वाली प्रकिया

(i) विनियामक आयोग द्वारा निजी विश्वविद्यालय स्थापना प्रस्ताव का मूल्यांकन –

(क) विनियामक आयोग निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रस्ताव तथा परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा 5(1)(2) के अनुसार 60 दिन के भीतर परियोजना में अधिकथित तथ्यों की समीक्षा करता है।

(ख) यदि कोई अतिरिक्त जानकारी आवश्यक होती है तो जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् 90 दिन के भीतर परियोजना प्रस्ताव को शासन को भेजना आवश्यक है।

(ii) आशय पत्र जारी करने हेतु अनुशंसा : –

(क) अधिनियम की धारा 5 में यथा उपबंधित जांच तथा मूल्यांकन के पश्चात्, यदि विनियामक आयोग की यह राय हो कि प्रायोजी निकाय को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करने का अवसर दिया जाए, तो आयोग राज्य सरकार को धारा 6 के प्रायोजी निकाय अनुसार आशय पत्र (LOI) जारी करने हेतु अनुशंसा करता है।

(ख) विनियामक आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रायोजी निकाय को प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया जाता है।

(iii) निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रमुख पूर्व शर्तें :–

(क) प्रायोजी निकाय मुख्य परिसर स्थापित करेगा तथा अधिनियम की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार रूपये पॉच करोड़ की विन्यास निधि स्थापित करेगा।

(ख) वह स्थापित किये जाने वाले परिसर के लिये न्यूनतम 10 हेक्टेयर भूमि (25 एकड़) प्राप्त करेगा और उसके स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

(ग) वह प्रशासकीय प्रयोजन तथा शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करने के लिये भवन तथा अनुषांगिक संरचना के रुप में न्यूनतम 2500 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र उपलब्ध करायेगा।

(घ) उपरोक्त के साथ ही प्रायोजी निकाय एक परिवचन भी प्रस्तुत करेगा जिसमें विश्वविद्यालयीन गतिविधियों के संचालन हेतु उन सभी शर्तों का समावेश होगा जैसा कि आयेाग अधिनियम 2007 की धारा 7 खण्ड चार में उल्लेखित है।

(ड़) प्रायोजी निकाय सुसंगत दस्तावेजों सहित अनुपालन रिपोर्ट तथा परिवचन विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगा।

(च) उपरोक्त अनुपालन रिपोर्ट तथा परिवचन के परीक्षण के पश्चात् यदि उसमें कोई कमी पाई जाती है तो विनियामक आयोग प्रायोजी निकाय को निर्देश देगा कि यथा शीघ्र पाई गई कमियों को दूर करें।

(छ) प्रायोजी निकाय से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् विनियामक आयोग उसका तथा तथ्यात्मक आंकड़ो का ऐसी रीति में परीक्षण करेगा जैसा कि वह उचित समझे।

(iv) विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु निर्णयात्मक कार्यवाही

अधिनियम 2007 की धारा 8 के अधीन विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यदि राज्य सरकार को यह समाधान हो जाता है कि प्रायोजी निकाय ने धारा 7 के उपबंधों का पालन कर लिया है तथा उसके प्रस्ताव के आधार पर निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा सकता है तो वह एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करेगा, तथा आशय पत्र जारी करेगा।

(v) आयोग द्वारा निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु अधिनियमन की कार्यवाही :

प्रायोजी निकाय को शासन द्वारा आशय पत्र जारी होने के पश्चात अनुपालन प्रतिवेदन के भौतिक सत्यापन हेतु आयोग द्वारा छः सदस्यीय समिति गठित की जाती है,जिसमें निम्नानुसार सदस्य नामित किए जातें है :–

1.	कुलपति / समकक्ष	अध्यक्ष
2.	विशेषज्ञ (उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा आदि)	सदस्य
3.	विशेषज्ञ (उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा आदि)	सदस्य
4.	संबंधित कलेक्टर अथवा मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य
5.	संबंधित पी.डब्ल्यू.डी. सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर अथवा मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य
6.	संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय का प्राचार्य अथवा नामित प्रतिनिधि	सदस्य

उपरोक्त गठित समिति द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय का स्थल निरीक्षण उपरांत उनके द्वारा की गई अनुशंसा पर शासन द्वारा अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अध्याधीन विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु राज्य शासन द्वारा जारी की गई अधिसूचना मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित की जाती है।